

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बून्दी (राज0)  
पीठासीन अधिकारी- श्री राजेश जोशी  
आर.ए.एस.

मिसल संख्या:	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
59/अपील/2019	17.07.2019	19.09.2019

भंवर लाल आ. भागोता जाति गुर्जर निवासी ग्राम होलासपुरा तहसील  
हिण्डोली जिला बून्दी (राजस्थान) - अपीलांट

- बनाम -

राजस्थान सरकार जयें नायब तहसीलदार दबलाना जिला बून्दी (राज0)  
- रेस्पोंडेन्ट

अपील विरुद्ध आदेश दिनांक 07.01.2019  
नायब तहसीलदार, दबलाना  
अन्तर्गत धारा 22 रा0 उपनिवेशन अधिनियम 1954  
अपील अन्तर्गत धारा 75 भू-राजस्व अधिनियम।

उपस्थित :-

अपीलांट की ओर से - श्री रघुवीर सिंह, अभिभाषक।  
रेस्पोंडेन्ट की ओर से - परोकार सरकार

-: निर्णय :-

यह अपील नायब तहसीलदार, दबलाना द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.01.2019 से अप्रसन्न होकर अपीलान्ट ने अंतर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम के तहत इस न्यायालय में पेश की गई है। अपीलाधीन आदेश के तहत अपीलान्ट को आराजी खसरा नम्बर 614 रकबा 03 बीघा किस्म सिवायचक वाके ग्राम होलासपुरा तहसील हिण्डोली का अतिचारी मानते हुये धारा 22 राज. उपनिवेशन अधिनियम 1954 के तहत बेदखली, फसल जप्ती, पैनाल्टी 375/- रुपये एवं 90 दिन सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोंडेन्ट तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गयी।

बहस अभिभाषक अपीलान्ट व परोकार सरकार सुनी गयी।

अभिभाषक अपीलांट ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय वस्तु स्थिति व विधान के सर्वथा विपरित होने से निरस्तनीय है। अधीनस्थ

अति० जिला कलक्टर  
बून्दी (राज०)

न्यायालय द्वारा अपीलान्त को कोई विधिवत् सूचना नहीं दी गई है तथा धाबाईयों का नया गांव कैम्प में उपस्थित होने की सूचना भी अपीलान्त को नहीं दी गई है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्त को अपना पक्ष, साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर विधि अनुसार नहीं दिया जाकर एकपक्षीय निर्णय पारित किया गया है जो विधिक प्रक्रियाओं का समुचित पालन नहीं करना प्रकट होता है। अपीलान्त ने कोई स्वतंत्र साक्ष्य नहीं लिये व पटवारी की रिपोर्ट व पटवारी हल्का के बयान के आधार पर निर्णय पारित किया गया है जो अनुचित है। अपीलान्त ने शपथ पत्र भी पेश कर दिया है कि विवादित भूमि से कब्जा छोड़ दिया है तथा भविष्य में कब्जा नहीं करेगा। अतः अपील अपीलान्त स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त फरमाया जावे।

पेरोकार-सरकार ने बहस के दौरान अपने मौखिक तर्क प्रस्तुत किये कि अपीलान्त ने राजकीय सिवायचक भूमि पर अतिक्रमण किया गया है। अपीलान्त को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत् नोटिस दिया गया है तथा अपीलान्त को सुनवाई का अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अवसर दिया गया है। अपीलान्त को गत वर्ष भी अतिक्रमित भूमि से बेदखल किया गया था जिसका विवरण पटवारी बयान व अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में अंकन है। अपीलान्त पश्चातवर्ती अतिक्रमी है तथा बार-बार अतिक्रमण करने का आदि है। अपीलान्त ने अतिक्रमण भूमि से कब्जा नहीं छोड़ा है, कब्जा छोड़ने बाबत् कोई साक्ष्य, पटवारी रिपोर्ट आदि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध नहीं है। मात्र अपीलान्त ने कब्जा छोटने बाबत् शपथ पत्र पेश किया है। अतः अपील अपीलान्त खारिज फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश यथावत रखा जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। बहस उभयपक्ष पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध रिपोर्ट पटवारी के अवलोकन से प्रकट है कि अपीलान्त ने विवादित भूमि पर अतिक्रमण किया है। पटवारी रिपोर्ट प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर अपीलान्त को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत् नोटिस दिया गया है। अपीलान्त द्वारा जिस भूमि पर अतिक्रमण किया गया है वह सिवायचक भूमि है जिस पर किसी भी व्यक्ति को अतिक्रमण व कब्जा करने का अधिकार नहीं है। अपीलान्त ने निवेदन किया है कि उसने विवादित भूमि पर कोई कब्जा नहीं किया गया है फिर भी अपीलान्त ने कब्जा छोड़ने बाबत् शपथ पत्र पेश किया है। अपीलान्त ने यह भी निवेदन किया है कि अपीलान्त के विरुद्ध एकपक्षीय निर्णय पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में अपीलान्त को विधिवत् नोटिस जारी किया गया है लेकिन अपीलान्त बावजूद सूचना के अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ है। परिणामस्वरूप अपील अपीलान्त आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है

एवं अपीलान्त को विचारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश सजा इस शर्त के साथ माफ की जाती है कि अपीलान्त ने वादग्रस्त आराजी से कब्जा छोड़ दिया है तथा जुर्माना राशि जमा करा दी गई है। इस आशय की पालना रिपोर्ट अपीलान्त मय शपथ पत्र सम्बन्धित अधीनस्थ न्यायालय को प्रस्तुत करेगा तथा अधीनस्थ न्यायालय उक्त पालना रिपोर्ट की वस्तु स्थिति का मौका देखकर पालना से पूर्णरूप से सन्तुष्ट होने पर कि अपीलान्त ने वादग्रस्त आराजी से कब्जा छोड़ दिया है और जुर्माना जमा करा दिया गया है तो सिविल कारावास की सजा निरस्त समझी जावे। यदि अपीलान्त उक्त पालना प्रस्तुत करने व वादग्रस्त आराजी से कब्जा छोड़ने में असफल रहता है तो विचारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित सिविल सजा यथावत रहेगी तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित शेष निर्णय यथावत रहेगा।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।  
आदेश आज दिनांक 19.09.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेश जोशी, R.A.S.)  
अतिरिक्त जिला कलक्टर,  
बून्दी (राज0)